

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2445  
10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात का निर्यात

2445. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत वर्ष 2030-31 तक इस्पात की उत्पादन क्षमता, खपत और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें क्या प्रगति हुई है;
- (ख) क्या इन लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए कोई अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन के अंतर्गत लाए गए इस्पात उत्पादों की संख्या सहित इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के दायरे को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या इस्पात की घरेलू गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और
- (ड.) प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण अनुपालन और कौशल विकास के उपायों सहित इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई अन्य प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) और (ख): वर्ष 2030-31 तक राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में परिकल्पित क्षमता, उत्पादन और खपत तथा उनकी प्रगति नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन में)

| मापदंड                                      | वर्ष 2030-31 के लिए अनुमान | वर्तमान स्थिति (1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार) |
|---|----------------------------|---|
| कच्चे इस्पात की क्षमता                      | 300                        | 179.5   |
| कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन                | 255                        | 144.3   |
| तैयार इस्पात की मांग/उत्पादन                | 230                        | 136.3   |
| स्रोत: राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 |                            | स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी);              |

(ग) एवं (घ): इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घरेलू बाजार में केवल ऐसे इस्पात उत्पादों की खपत को सक्षम बनाता है जो बीआईएस अनुज्ञप्ति के तहत जहां कहीं लागू हो उत्पादित या आयातित किए गए हों। क्यूसीओ के दायरे को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। आज की तारीख तक, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक

अधिसूचित किए गए हैं। घरेलू इस्पात की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर क्यूसीओ के प्रभाव का कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है।

(ड.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण अनुपालन और कौशल विकास के उपाय शामिल हैं:

i. 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन:-

क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ।

ii. इस्पात क्षेत्र का अकार्बनीकरण और ऊर्जा दक्षता:-

क. इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अधिसूचना

ख. राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का कार्यान्वयन, जो इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत आदि को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

iii. कौशल विकास:-

क. द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति, औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) की स्थापना; तथा पूर्वी क्षेत्र में इस्पात उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाजपुर के कलिंग नगर में बीजू पट्टनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) की स्थापना।

ख. बीपीएनएसआई ने जुलाई, 2023 से मार्च, 2024 तक 15 कौशल कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें उद्योगों के संभावित कार्यबल और कामकाजी पेशेवरों को शामिल किया गया।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, भारत के इस्पात क्षेत्र ने निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए हैं:-

i. भारत का इस्पात क्षेत्र वर्ष 2018 से दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

ii. वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक इस्पात क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति:-

| मापदंड                                  | वित्त वर्ष 2014-15 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|--------------------|--------------------|
| कच्चे इस्पात की क्षमता (एमटी)           | 109.85             | 179.51             |
| कच्चे इस्पात का उत्पादन (एमटी)          | 88.98              | 144.30             |
| तैयार इस्पात की खपत (एमटी)              | 76.99              | 136.29             |
| प्रति व्यक्ति इस्पात खपत (कि.ग्रा. में) | 60.8               | 97.7               |

iii. भारतीय इस्पात उद्योग की औसत सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 में प्रति टन कच्चे इस्पात पर लगभग 3.1 टन सीओ<sub>2</sub> से घटकर वर्ष 2023-24 में लगभग 2.54 टन सीओ<sub>2</sub> हो गई है।